



हिंडौन सिटी

Rashtradoot

फोन:- 230200, 230400 फैक्स:- 07469-230600

वर्ष: 17 संख्या: 10

प्रभात

हिंडौन सिटी, बुधवार 13 नवम्बर, 2024

पो. रजि. SWM-RJ-6069/2017-18

पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

महाराष्ट्र में भाजपा और कांग्रेस ने “रेवड़ियों” की बरसात की

किसी ने नहीं मानी, रेवड़ी कल्चर पर रोक के लिए रिजर्व बैंक की सलाह

- श्रीनन्द झा -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 12 नवम्बरा चुनावों से मुफ्त सुविधाएं देना अर्थात् “रेवड़ी कल्चर” पर सुप्रीम कोर्ट की कठोर सलाह का महाराष्ट्र में न तो महाविकास अधारी पर असर हुआ है न ही सत्तारूढ़ महायुति गवर्नर घोषणा परा भाजपा ने महिलाओं के प्रतिमात्र 21,000 रुपये देने की घोषणा की है और कांग्रेस महिलाओं को प्रतिमात्र तीन हजार रुपये देना का वादा की है। भाजपा ने दस लाख विद्यार्थियों प्रतिमात्र दस हजार रु. देने तथा 25 लाख रोजगार सुनित करने का वादा किया है।

कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं चार हजार का भाग देने की घोषणा की है वहीं भाजपा ने राज्य चुनावों में 25,000 महिलाओं को नीकरी देने का वादा किया है भाजपा के अन्य वादों के बिजली के बिल में 30 प्रतिशत की कटौती, बृद्धिवस्थ पेंशन 15,000 से बढ़ावा 21,000 करने और किसान सम्पन्न योजना में किसानों को सालान बारह हजार से बढ़ाकर पन्द्रह हजार रु.

- भाजपा ने महिलाओं को प्रति माह 21 सौ रुपये देने का वादा किया तो कांग्रेस ने 3 हजार रुपये देने की घोषणा की।
- भाजपा ने 10 लाख विद्यार्थियों को 10 हजार रु. प्रतिमात्र भत्ता देने व 25 लाख रोजगार सुनित करने की घोषणा की है, वहीं, कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं को चार हजार रु. प्रतिमात्र बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया।
- इसके अलावा भाजपा ने बिजली के बिल में 30 प्रतिशत की कटौती, आंगनबाड़ी व आशा सहयोगियों के मानदेय में बृद्धि का वादा किया।
- कांग्रेस ने 500 रु. की दर पर साल में 6 रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है।
- ज्ञातव्य है कि, जून में आई एक रिपोर्ट में आर.बी.आई. ने कहा था कि राज्य सरकार सब्सिडी का बढ़ा हिस्सा मुफ्त सुविधाओं के रूप में दे रही है।

देने की घोषणा की है और आंगनबाड़ी महाराष्ट्र विकास अधारी ने तीन लाख और आशा सहयोगियों को 15,000 रु. तक का कर्ज माफ करने और 6 और बोगा बतौर मासिक मानदेय दिव्य एल.पी.जी. सिलेंडर 500 रु की रेट पर देने का वादा किया गया है। दूसरी ओर पर देने का वादा किया साथ ही शिक्षित बांटना शुरू कर दिया है।

बेरोजगारों का 4,000 रु मासिक देने की घोषणा की है।

जून की एक रिपोर्ट में, आर.बी.आई. ने सी.ए.जी. के उपलब्ध डेटा का बहाला देते हुए कहा था कि सब्सिडी, जो 2020-21 में 11.2 प्रतिशत थी, 2021-22 में बढ़कर 12.9 प्रतिशत हो गई है, जबकि 2019-20 में ये कम हो गई थी। रिपोर्ट बताती है कि कुल राजस्व व्यव में सब्सिडीज का हिस्सा, जो 2019-20 में 7.8 प्रतिशत था, 2021-22 में बढ़कर 8.2 प्रतिशत हो गया है। रिपोर्ट में ज्ञातव्य, केरल, ओडिशा, तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश का उल्लेख ऐसे राज्यों के रूप में किया गया है, जिनमें पिछले तीन सालों में सब्सिडीज का हिस्सा में सर्वाधिक दर्शाइ गई है। गुरुवार, पंजाब और चंडीगढ़ भी ऐसे राज्यों के रूप में दर्शाये गये हैं, जहां सब्सिडीज पर उनके राजस्व व्यव का 10 प्रतिशत से अधिक बर्च हुआ है। रिपोर्ट आगे कहती है कि हाल की दौर में, राज्य सरकारों ने अपनी सब्सिडीज का एक हिस्सा रेवड़ियों के रूप में बांटना शुरू कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अबुबकर की मैडिकल रिपोर्ट मांगी

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 12 नवम्बरा संघीच्य न्यायालय ने मंगलवार को ऑफ इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज (एप्स) से एक रिपोर्ट आगे देने की राजनीति के बिंदुओं के बारे में दर्शाये गये हैं, जहां सब्सिडीज पर उनके राजस्व व्यव का 10 प्रतिशत से अधिक बर्च हुआ है। रिपोर्ट आगे कहती है कि हाल की दौर में, राज्य सरकारों ने अपनी सब्सिडीज का एक हिस्सा रेवड़ियों के रूप में बांटना शुरू कर दिया है।

निरस्तीकरण के बारे में एक वीडियो बयान जारी किया गया है, जिसमें पिछले तीन सालों में सब्सिडीज का हिस्सा में सर्वाधिक दर्शाइ गई है। गुरुवार, पंजाब और चंडीगढ़ भी ऐसे राज्यों के रूप में दर्शाये गये हैं, जहां सब्सिडीज पर उनके राजस्व व्यव का 10 प्रतिशत से अधिक बर्च हुआ है। रिपोर्ट आगे कहती है कि हाल की दौर में, राज्य सरकारों ने अपनी सब्सिडीज का एक हिस्सा रेवड़ियों के रूप में बांटना शुरू कर दिया है।

लेकिन राहत गांधी ने गोदिया में अपनी दूसरी रैली में पहुंचने में कामयाब रहा।

अपने बयान में, उन्होंने चिंचली की आशाकारी के बिंदुओं को अश्वारक्षण याचिका की रूप से अधिक ध्यान देने की राजनीति के बिंदुओं की समस्याओं का सामाधान करने की कोशिश करीगी।

मुख्य न्यायाधीश ने मंगलवार को

उद्देश्य निर्देश दिया।

अदालत की कार्यवाही के प्रारंभ में, पत्रों में अपने निवेदन की अर्जेसी के

कहा, “अब लिखित या मौखिक निवेदन के लिए आदेश ई-मेल या लिखित पत्री पर ही स्तीकार किए जाएंगे, जिसमें यह बताना होगा कि त्वरित सुनवाई करना क्यों जरूरी है?”

ज्ञातव्य है कि, रिटार्ड सी.जे.आई. डी.वॉय. चंद्रघूड के कार्यकाल में मामलों को त्वरित सुनवाई के लिए लिस्ट करने के लिए आदेश ई-मेल या स्तीकार निवेदन भेजने के लिए कहा गया था। अब तब भी कुछ मामलों, जैसे भवन तोड़ने या गिरफ्तारी की संभावना होती थी, बिल्कु इसमें सम्बंधित पक्ष को राहत भी दी गई थी।

पूर्व चीफ जस्टिस स्व. एस.एच. कपाडिया के कार्यकाल, 2 मई 2010 से 28 सितम्बर 2012 तक, के दौरान केस की त्वरित लिस्टिंग के लिए मौखिक निवेदन पर आदेश ई-मेल या स्तीकार नहीं करने का निर्देश दिया गया था पर

यह परम्परा अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

अदालत की कार्यवाही के प्रारंभ में, पत्रों में अपने निवेदन की अर्जेसी के

कहा, “अब लिखित या मौखिक निवेदन के लिए आदेश ई-मेल या स्तीकार होता है।

अभी-अभी सेवानिवृत हुए मुख्य

न्यायाधीश डी.वॉय. चंद्रघूड के

याचिकाकर्ताओं को इन संदेशों,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चला था, क्योंकि शरद पवार ने निर्णय लिया था कि उत्तरों (समर्थन) नहीं देंगे।

इसके बाद, जूनियर पवार के साथ गये अधिकांश विवाहक मूल पार्टी में लैट गये थे। इस घटना के चन्द रोज बाद, अविभाजित एन.सी.पी. निवेदन के लिए इ-मेल या लिखित स्लिप।

अर्जेसी के कार्यों को हासिल हुए हैं।

अदालत की कार्यवाही के प्रारंभ में, पत्रों में अपने निवेदन की अर्जेसी के

कहा, “अब लिखित या मौखिक निवेदन के लिए आदेश ई-मेल या स्तीकार होता है।

अभी-अभी सेवानिवृत हुए मुख्य

न्यायाधीश डी.वॉय. चंद्रघूड के

याचिकाकर्ताओं को इन संदेशों,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चला था, क्योंकि शरद पवार ने निर्णय

लिया था कि उत्तरों (समर्थन) नहीं देंगे।

इसके बाद, जूनियर पवार के साथ गये अधिकांश विवाहक मूल पार्टी में लैट गये थे। इस घटना के चन्द रोज बाद, अविभाजित एन.सी.पी., शिव सेना तथा कांग्रेस के निवेदन के लिए आदेश ई-मेल या स्तीकार होता है।

अभी-अभी सेवानिवृत हुए मुख्य

न्यायाधीश डी.वॉय. चंद्रघूड के

याचिकाकर्ताओं को इन संदेशों,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चला था, क्योंकि शरद पवार ने निर्णय

लिया था कि उत्तरों (समर्थन) नहीं देंगे।

अदालत ने कहा है कि जो खनन पूर्व धारक जिला स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आकर्षित करता है, उसके लिए आदेश ई-मेल या स्तीकार होता है।

ज्ञातव्य है कि उत्तरों (समर्थन) नहीं देंगे।

अदालत